


अशोक का धम्म

⇒ धम्म के प्रचार के लिए उपाय

1. धम्म यात्रा

- 10 वें वर्ष गया
- 20 वें वर्ष खम्मिनदेई
- 21 वें वर्ष निगालिसागर

2. धम्म दूत

- ↳ मईन्द्र एवं सधमित्रा श्रीलंका गये
- ↳ सोन एवं उत्तरा सुवर्ण भूमि गये

- ↳ मज्झान्तल ⇒ जश्मीर व गांधार

⇒ धम्म अधिष्ठात्री

- धम्म महामान्त की नियुक्ति = 5 वां शिलालेख
- भुक्त, रज्जुक व प्रादेशिक की नियुक्ति = 3^{वां} अभिलेख
- धम्म के लिए तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन

भुक्त अधिष्ठात्री $\left\{ \begin{array}{l} \text{राज्य का लेखाकार} \\ \text{राजस्व संपत्तीकरण एवं} \\ \text{भूमि प्रबंधन} \end{array} \right.$

रज्जुक → भूमि की माप करना

प्रादेशिक → जिला प्रशासन का मुखिया

⇒ अशोक के अभिलेख से जुड़ी अन्य सूचनाएं -

1- शदवाजगदी और मानसेहरा = खरोष्ठी लिपि


2- तम्रशिला एवं लघमान = अरेमाइक लिपि

3- शेर-ए-कुना (बान्धार) = अरेमाइक + ग्रीक


4- लघु स्तम्भ लेख → जिन पर राजकीय घोषणाएँ
अंकित हैं - सांची, रुमिनदेई

- अशोक के गुफा लेख धार्मिक सहिष्णुता के
परिचायक हैं।

⇒ मौर्य प्रशासन



- पहली बार ऐतिहासिक रूप से राजनीतिक स्थल स्थापित होती है।
- शासन का केन्द्रीयकरण → जिसका प्रभुत्व → राजा



⇒ राजा के अत्यंत निम्न शीर्ष चार व्यक्ति

1. पुरोहित
2. युवराज
3. मंत्री (तन्निघाता → लोकाध्यक्ष)
4. सेनापति

⇒ कुल 18 तीर्थ

- 1- पुरोधित
- 2- भुवराज
- 3- सेनापति
- 4- समाहर्ता (राजत्व सन्निहित)
- 5- सन्निधाता (लोषाध्यक्ष)
- 6- प्रद्वेषा (फौजदारी मामले)
- 7- कर्मनिष्ठा (काररवाने वा मुखिया)
- 8- व्यावहारिक - दीवानी मामलों वा न्यायाधीश
- 9- दुर्गपाल - दुर्ग की देखभाल
- 10- नागरिक - नगर की देखभाल
- 11- आरक्षक - जंगल वा अधिकारी
- 12- दण्डपाल - सेना के खालो सामान की रक्षा
- 13- नाथक - कुछ भूमि में सेना वा नेतृत्व करने वाला
- 14- अन्तपाल - सीमा की सुरक्षा
- 15- प्रशस्तता - सरकारी/राजकीय दस्तावेज रखने वाला
- 16- अन्तर्वेशिक - राजा वा अंग रक्षक
- 17- दौवारिक - राजमहल वा अधिकारी
- 18- मंत्रिपरिषदाध्यक्ष - मंत्रिपरिषद वा मुखिया

⇒ विभागाध्यक्ष

- सीताध्यक्ष → सरकारी भूमि का अधिकारी
- पण्याध्यक्ष → व्यापार-वाणिज्य से संबंधित
- पाँतवाध्यक्ष → माप-तौल का अधिकारी
- रूपाध्यक्ष/रूप दर्शक - मुद्रा निर्माण निरीक्षक
- अन्नाराध्यक्ष → खनन से संबंधित
- खंरुषाध्यक्ष → बाजार का अध्यक्ष
- लक्षणाध्यक्ष → टेलरसाल विभाग का अध्यक्ष
- देवताध्यक्ष → धार्मिक मामले का अधिकारी
- गाविकाध्यक्ष → वैश्याओं के प्रमुख
- नवाध्यक्ष → नौसेना के अध्यक्ष
- मुद्राध्यक्ष → विदेश विभाग के अध्यक्ष/पासपोर्ट
- सूत्राध्यक्ष → ऊपड़ा उद्योग का प्रमुख
- महामात्रापशरण - गुप्तचर विभाग का प्रमुख
- विविताध्यक्ष → चारागाह का प्रमुख

यूनानी स्रोतों में इन विभागाध्यक्षों को
मजिस्ट्रेट कहा गया है।

⇒ प्रशासनिक विभाजन

राज्य

↓
चर्क (प्रांत) ⇒ प्रांतपति / भुवराज / गवर्नर / मार्शपुत्र

↓
मंडल { प्रदेश (चन्द्रगुप्त मौर्य के समय)
प्रादेशिक (मशोक के समय)

↓
विषय ⇒ 16 गांव का समूह → विषयपति

↓
स्थापति ⇒ 800 " " " → स्थानपति

↓
द्रोणवर्ति ⇒ 400 " " "

↓
खार्वाटिक ⇒ 200 " " "

↓
संग्रहण ⇒ 100 " " "

↓
गांव → सबसे छोटी इकाई

* मैगस्थनीज { जिले का अधिकारी → खग्रीनोमोई
सड़क का अधिकारी → स्ट्रैटोनोमोई

⇒ ग्राम प्रशासन

→ ग्राम का अधिकारी / मुखिया → ग्रामणी

→ ग्रामणी का ब्याथलिथ → गौप


⇒ ग्रामीण प्रशासन की जानकारी का स्रोत -

- सोहगौरा (गोरखपुर) अभिलेख → मन्नागार (ताम्रपत्र)

- महास्थान (बांग्लादेश) → बालावि नामक सिक्के
का उल्लेख

* राजनिंग व्यवस्था की शुरुआत चन्द्रगुप्त मौर्य के शासन काल में हुई।



⇒ राजस्व



- 2- प्रणय कर → आपातकालीन कर
 - 3- पिण्ड कर → कई गांव जो मिलाकर लिया जाने वाला कर
 - 4- औपनायिक कर → उपहार कर
 - 5- पार्श्व कर → अतिरिक्त लिया जाने वाला कर
 - 6- सेतुकर → फल-फूल-सब्जियों पर लगने वाला कर
 - 7- विवीता कर → चारागाह भूमि कर
 - 8- दियेय कर → नजद में दिया जाने वाला कर
 - 9- औल्येय कर → जलाशय की भूमि से लिया जाने वाला
 - 10- रज्जु कर → भूमि की माप के लिए
 - 11- पूर्वस्य कर → आयात कर
- * ध्रुवाधिपतन → समाहर्ता (कर वसूली का सबसे बड़ा अधिकारी) के पहले या (दूसरा सबसे बड़ा)

⇒ गुप्तचर व्यवस्था → अधिकारी → महामात्मस्पर्श


↳ लौटिल्य द्वारा जडा गया → गूढ़ पुरुष



⇒ पुलिस → रक्षित जडा जाता था

⇒ न्यायालय


↳ राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था




⇒ लौटिल्य के अनुसार उपकार के अर्थदण्ड

पूर्व
मध्यम
उत्तम/साहस (500 पण)

→ न्यायाधिकारी



→ सैन्य व्यवस्था



→ कुल समितिया - 6

→ प्रत्येक समिति में सदस्य - 5

कुल सदस्य = 30

मेगाएथनीज द्वारा
उल्लिखित

→ अशोक का प्रशासनिक सुधार

- अशोक ने इतिहास महामान की नियुक्ति की → 12वां शिलालेख
↳ स्त्रियों की देख-भाल तथा नेतृत्वता के लिए

- धम्म महामान की नियुक्ति की

→ वज्रभूमि → अंगल ब चारागाह आदि भूमि को देखने
वाला अधिकारी

→ देवनामपेथ की उपाधि धारण की

- पुरोहित का पद समाप्त कर परिषद नामक नए पद का
सृजन किया

→ गोप, प्रादेशिक, रज्युक, मुक्त नामक नये अधिकारियों
की नियुक्ति की
↳ राजत्व का लेना-ओरवा रखने
वाला अधिकारी